

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, जून, 2020

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को एतद् द्वारा मई, 2020 के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीति निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को परिचालित करने का निदेश हुआ है।

21/06/2020  
22.06.2020

सुरेन्द्र पाल सिंह  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष 23092100 -

सेवा में,

1. केंद्रीय मंत्री परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली के सभी सदस्य
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
5. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, 6 मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली
6. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली
8. नीति आयोग, योजना भवन नई दिल्ली के सभी सदस्य
9. मंत्रालयों/विभागों, भारत सरकार, नई दिल्ली के सभी सचिव
10. एमओएस(एम) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव(आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी, सचिव(राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(व्यय) के प्रधान निजी, सचिव(आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव(डीआईपीएम) के प्रधान निजी
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग
12. अपर सचिव, (श्री ए गिरिधर) मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
13. डॉ. सी.एस. मोहपात्रा, अपर सचिव (एमएस एंड सीएस), आर्थिक कार्य विभाग
14. श्री के राजारमन, अपर सचिव (प्रशासन और निवेश), आर्थिक कार्य विभाग
15. श्री समीर कुमार खरे, अपर सचिव (एफबी एंड एडीबी), आर्थिक कार्य विभाग
16. सुश्री मीरा स्वरूप, एस एंड एफए (वित्त)
17. श्री ए एम बजाज, अपर सचिव (वित्त मंत्री) आर्थिक कार्य विभाग
18. श्री संजीव संयाल, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग
19. आर्थिक कार्य विभाग में प्रभागों के सभी प्रमुख। संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (बीसी एंड आईईआर)/ संयुक्त सचिव (निवेश)/सलाहकार (सीएंडसी/एफएसएलआर/एफएसएंडसीएस)/सलाहकार (आईईआर)/सीएए
20. श्री अरुण कुमार, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग
21. सुश्री राजश्री रॉय, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग
22. श्री राजेश मल्होत्रा, अपर महानिदेशक (एमएंडसी), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
23. गार्ड फाइल-2020

सं.ए-45011/4/2020-प्रशासन. III

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग

\*\*\*

**विषय: मई, 2020 महीने के आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मासिक सारांश ।**

**1. वृहत्त आर्थिक सिंहावलोकन**

अप्रैल, 2020 के महीने के लिए मैक्रो-इकनोमिक रिपोर्ट का प्रकाशन डीईए की वेबसाइट पर उपलब्ध है और सारणीबद्ध रूप में महत्वपूर्ण जानकारी का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

**2. अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ**

2.1 (क) माननीय वित्त मंत्री ने 21.05.2020, को कंकन एवं नजेरेकोर, गिनी में क्षेत्रीय अस्पताल के निर्माण और उन्नयन हेतु 20.506 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता का अनुमोदन किया है।

(ख) आर्थिक कार्य विभाग ने कोविड-19 का सामना करने के लिए 15 मिलियन यूरो के अनुदान तथा संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल कोष (यूनिसेफ) के माध्यम से जर्मनी से 5 मिलियन यूरो की तकनीकी सहायता की प्रतिबद्धता के लिए 4 मई, 2020 को अपनी सहमति व्यक्त की है।

(ग) हिमाचल प्रदेश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी परियोजना के लिए एएफडी, फ्रांस के समक्ष 650 करोड़ भारतीय रुपए/ यूरो 81.95 मिलियन का प्रस्ताव 20 मई, 2020 को प्रस्तुत किया गया था।

(घ) मध्यप्रदेश में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण (एससीएडीए) द्वारा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, 33/11 केवी उप केंद्रों और एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) आधारित स्मार्ट मीटरिंग निवेशों को सक्षम करने हेतु केएफडब्ल्यू, जर्मनी को दिनांक 28 मई, 2020 को 1120 करोड़ भारतीय रुपए/यूरो 155.85 मिलियन का प्रस्ताव दिया गया।

2.2 (क) "महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार" शीर्षक परियोजना के लिए 28 मई, 2020 को 177 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए एडीबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

(ख) पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 15 मई, 2020 को डब्ल्यूबी से 145 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) भारत के कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए 15 मई, 2020 को डब्ल्यूबी से 750 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता पर हस्ताक्षर किए गए थे।

2.3 मई, 2020 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	परिपत्र की तारीख	लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
1	सेबी	20.5.2020	सेबी ने सभी सूचीबद्ध इकाइयों के लिए यह अनिवार्य किया है कि वे सभी निवेशकों को पूंजी, वित्तीय संसाधनों एवं नकदी परिसंपत्तियों इत्यादि पर इस महामारी के प्रभाव के संबंध में समयोचित और विशुद्ध प्रकटन करना चाहिए।
2.	सेबी	21.5.2020	दोष ठीक हो जाने के पश्चात् और भुगतान सामान्य होने पर सेबी ने निदेश जारी किए हैं कि 90 दिनों की अवधि के पश्चात् कंपनी की गैर-निवेशक ग्रेड की रेटिंग में सीआरए को सुधार करना होगा। सीआरए 90 दिनों की अवधि को प्रत्येक मामले के अनुसार बदल सकता है।
3	सेबी	14.5.2020	कोविड-19 के संदर्भ में, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 01 मार्च, 2020 से गैर अनुपालन की तिथि तक सूचीबद्ध इकाइयों की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारण आवश्यकता जिसकी अंतिम तिथि 01 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक के बीच में आती है, को पैनल एक्शन से छूट दी गई है।

2.4(क) एनआईपी टास्क फोर्स ने वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक के दौरान अनुमानित 111 लाख करोड़ रुपए के कुल अवसंरचना निवेश सहित वित्तीय वर्ष 2019-25 के लिए एनआईपी पर अपनी अंतिम रिपोर्ट 29 अप्रैल, 2020 को वित्त मंत्री को प्रस्तुत कर दी है।